विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में **''स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की कार्यप्रणाली''** विषयक एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 56 प्रस्तर सम्मिलित हैं जिसमें कर, शुल्क, ब्याज एवं शास्ति के अनारोपण/कम आरोपण आदि से सम्बन्धित ₹ 857.95 करोड़ की धनराशि सन्निहित है। शासन/विभागों ने ₹ 438.41 करोड़ धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 2.60 करोड़ की वसूली कर ली गयी है। कुछ मुख्य आपत्तियाँ नीचे वर्णित हैं:

I. सामान्य

वर्ष 2010–11 के 1,11,183.76 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2011–12 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,30,869.70 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 52,613.43 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व ₹ 10,145.30 करोड़ को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व ₹ 62,758.73 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 68,110.97 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग ₹ 50,350.95 करोड़ और सहायक अनुदान ₹ 17,760.02 करोड़) थी। इस प्रकार राज्य सरकार कुल राजस्व का 48 प्रतिशत ही उगाह सकी। वर्ष 2011–12 के दौरान वाणिज्य कर/मूल्य सवंर्धित कर (₹ 33,107.34 करोड़) तथा विविध सामान्य सेवाओं पर कर (₹ 4,035.23 करोड) क्रमशः कर एवं करेत्तर राजस्व के मुख्य साधन थे।

(प्रस्तर 1.1)

दिसम्बर 2011 तक निर्गत किये गये 11,538 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 5,234.12 करोड़ की धनराशि के 28,455 प्रस्तर जून 2012 के अन्त तक लम्बित थे।

(प्रस्तर 1.2)

वर्ष 2011–12 के दौरान वाणिज्य कर/मूल्य संवर्धित कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, खनन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्तियों के 1,356 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 4,878 मामलों से सम्बन्धित ₹ 1,754.31 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 637 मामलों में ₹ 33.83 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के मामले स्वीकार किये जिनमें से ₹ 30.68 करोड़ के 78 मामले वर्ष 2011–12 की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान 326 मामलों में ₹ 3.79 करोड़ की वसूली की गई जिनमें से ₹ 25.79 लाख के 44 मामले वर्ष 2011–12 की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये थे तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के थे।

(प्रस्तर 1.5.1)

II. वाणिज्य कर/मूल्य संवर्धित कर

कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2002–03 से 2009–10 तक की अवधि में 55 वाणिज्य कर कार्यालयों के 79 व्यापारियों के मामले में ₹ 3.32 करोड़ के व्यापार कर/मूल्य संवर्धित कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.10.1)

वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 की अवधि में 11 वाणिज्य कर कार्यालयों के 13 व्यापारियों के मामले में सकर्म संविदा कर समय से जमा न किये जाने पर ₹ 1.36 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.11.5)

वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की अवधि में पाँच वाणिज्य कर कार्यालयों के पाँच व्यापारियों के मामले में ₹ 2.67 करोड़ के केन्द्रीय बिक्री कर की अनियमित छूट/रियायत की गयी।

(प्रस्तर 2.12.2)

वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक की अवधि में छः वाणिज्य कर कार्यालयों के सात व्यापारियों के मामले में ₹ 1.56 करोड़ के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.13)

वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 की अवधि में छः वाणिज्य कर कार्यालयों के छः व्यापारियों के मामले में ₹ 1.55 करोड़ के गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 का उत्क्रमण तथा अर्थदण्ड एवं ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

(प्रस्तर 2.16.3)

III. राज्य आबकारी

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि में 10 जिला आबकारी कार्यालयों में 27 माडल शापों पर ₹ 1.54 करोड़ की लाइसेंस फीस का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 3.8)

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि में क्रमशः सात एवं आठ जिलों के वि0 म0–2 के लाइसेंसों पर ₹ 80 लाख की लाइसेंस फीस कम आरोपित/वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 3.14)

वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की अवधि में क्रमशः 52 एवं 54 जिलों में बीयर की थोक आपूर्ति पर ₹ 9.25 करोड़ की लाइसेंस फीस का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 3.15)

IV. वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर

अक्टूबर 2009 से फरवरी 2012 तक की अवधि में कम सीटिंग क्षमता ग्रहण किये जाने के कारण 27 सम्भागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में 3,467 वाहनों पर ₹ 99.71 लाख कम कर आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 4.8)

अप्रैल 2010 से मार्च 2012 तक की अवधि में तीन माह से अधिक समर्पित 753 वाहनों के सम्बन्ध में 33 सम्भागीय परिवहन कार्यालय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में ₹ 2.29 करोड़ के कर/अतिरिक्त कर वसूल नहीं किए गए।

(प्रस्तर 4.9)

अप्रैल 2008 से जनवरी 2012 तक की अवधि में 12 सम्भागीय परिवहन कार्यालय/ सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय से सम्बन्धित 2,248 वाहन अधिक भार ढो रहे थे, जिससे न केवल ओवरलोडेड वाहन खतरनाक ढंग से चल रहे थे बल्कि उससे मानव जीवन की हानि और सड़क नष्ट हो सकती है, पर ₹ 2.14 करोड़ की शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 4.10)

अप्रैल 2008 से जनवरी 2012 तक की अवधि में 12 सम्भागीय परिवहन कार्यालय/ सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय से सम्बन्धित 533 ट्रैक्टर, जो कृषि कार्य हेतु पंजीकृत थे किन्तु वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न थे, उन पर कर तथा अर्थदण्ड के रूप में ₹ 29.05 लाख आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.12)

V. स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

"स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की कार्यप्रणाली" विषयक निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि:

- विक्रय विलेख पर स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 23.13 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 5.5.12)

- विभिन्न प्रकार के पट्टों पर स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के अनारोपण से ₹ 12.48 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.5.16)

- सम्पत्ति के अवमूल्यांकन से स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस ₹ 19.69 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 5.5.19)

- दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण से स्टाम्प शुल्क ₹ 44.79 लाख का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 5.5.20)

- जिलाधिकारी द्वारा शक्तियों का अनियमित प्रयोग करने से ₹ 2.81 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.5.22)

VI. खनन प्राप्तियाँ

वर्ष 2005–06 से 2010–11 की अवधि के दौरान 13 जिला खान कार्यालयों से सम्बन्धित ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा ईंट बनाने की मिट्टी के अवैध हटान पर ₹ 159.79 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नही किया गया।

(प्रस्तर 6.7)

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान सम्बन्धी प्रावधान न होने के कारण वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि के दौरान 11 जिला खान कार्यालयों से सम्बन्धित 122 पट्टों से शासन ₹ 2.48 करोड़ का राजस्व पाने से वंचित रहा।

(प्रस्तर 6.8)

2005 से 2012 की अवधि के दौरान पट्टों का नवीनीकरण न होने तथा नये पट्टे स्वीकृत न होने के कारण, 602 खनन पट्टों से ₹ 50.93 करोड़ के राजस्व की क्षति हुई।

(प्रस्तर 6.10)

वर्ष 2005–06 से 2010–11 की अवधि के दौरान पाँच जिला खान कार्यालयों से सम्बन्धित 22 प्रकरणों में अनधिकृत उत्खनन के लिए उत्खनित खनिजों का मूल्य वसूल न किये जाने के कारण ₹ 77.87 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 6.12.1)

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य 21 जिलों में अनियमित एम0एम0–11 प्रपत्रों के विरुद्ध अवैध रूप से उत्खनित उप खनिजों के परिवहन को रोकने के लिए क्रियाविधि का अभाव रहा।

(प्रस्तर 6.17)

VII. अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्तियाँ

वन विभाग द्वारा निर्धारित फार्मूले के अनुसार रायल्टी की गणना न करने के कारण तेन्दू पत्ते पर ₹ 46.64 करोड़ की रायल्टी कम वसूल की गई।

(प्रस्तर 7.4)

वन विभाग में वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त हो गये 39.29 लाख पौधों को उगाने एवं उनके रख–रखाव पर किया गया ₹ 97.44 लाख का व्यय निरर्थक रहा।

(प्रस्तर 7.5)

वन वृत्त, आगरा में बिना आवश्यकता के 33.99 लाख नये पौधों के उगाने एवं रख–रखाव पर ₹ 1.13 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(प्रस्तर 7.6)

वर्ष 2005–06 से 2011–12 के दौरान 251 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (मु0चि0अधी0), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ₹ 28.99 करोड़ के यूजर चार्जेस का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 7.7)

अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2010 के मध्य 22 मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के कार्यालयों में रक्त एवं रक्त अवयवों के ट्रान्सफ्यूजन पर ₹ 2.65 करोड़ का सर्विस चार्ज कम आरोपित किया गया।

(प्रस्तर 7.8)

बिना पंजीकरण कराये 16 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (मु0चि0अ0), के अन्तर्गत संचालित 226 संस्थानों पर ₹ 40.95 लाख की शास्ति आरोपित नहीं की गई।

(प्रस्तर 7.9.1)